FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

रेखाराम वगैरा बनाम भैराराम वगैरा

किस्म मुकदमा राज. भूराजस्व नं. 400/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/12/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खि० द्याराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/01/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
20/01/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 08/03/2021 को पेश हो।	
08/03/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी... नोटिस तामील हस्ब ... पीठासीन अधिकारी का पद ... मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 08/04/21 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:48 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / वाद / 202

06/08/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। [illegible] पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इजलास होकर आगामी दिनांक 10/11/21 को पेश हो।

10/11/21 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021 कैम्प ग्राम पंचायत [illegible] में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेडा सेड आये हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मार्ड व कोर आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेडो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेडो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेडो का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबन्दी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर [illegible] जाता है कि आप स्वयं या किसी भी [illegible] निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी [illegible] बन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क [illegible] रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1346 दिनांकः– 22/11/21

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रेखाराम पुत्र धर्माराम वगैरा जाति जाट, निवासी खोखसर पश्चिम तहसील गिड़ा (बाड़मेर)		1. भैराराम पुत्र दीपाराम वगैरा जाति जाट, निवासी खोखसर पश्चिम तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 400 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – खोखसर पश्चिम, पटवार मण्डल – खोखसर पश्चिम, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1089 / 790 रकबा 11.06 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1347–51 दिनांकः– 22/11/21

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का खोखसर पश्चिम को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रेखाराम पुत्र धर्माराम वगैरा सं. 4
4. विप्रार्थी श्री भैराराम पुत्र दीपाराम वगैरा सं.
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु